प्रस्तावना

यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत झारखण्ड के राज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु तैयार की गई है।

झारखण्ड सरकार की राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का उद्देश्य वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान राज्य के वित्तीय प्रदर्शन का आकलन करना और वित्तीय आँकड़े के लेखापरीक्षा विश्लेषण के आधार पर राज्य विधानसभा को सुझाव प्रदान करना है। प्रतिवेदन में तीन अध्याय हैं।

अध्याय I - राज्य के वित्त का अवलोकन

यह अध्याय प्रतिवेदन के आधार और दृष्टिकोण का वर्णन करता है और राज्य के वित्त का एक व्यापक परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है। इसमें प्रमुख सूचकांकों और राज्यों की राजकोषीय स्थिति का एक वृहद-राजकोषीय विश्लेषण शामिल है, जिसमें घाटा/आधिक्य, ऋण की रूपरेखा और प्रमुख लोक लेखा लेनदेन शामिल हैं।

अध्याय II - बजटीय प्रबंधन

यह अध्याय राज्य के विनियोग लेखों पर आधारित है और राज्य सरकार के विनियोग और आवंटन प्राथमिकताओं की समीक्षा करता है और बजटीय प्रबंधन से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों से विचलन पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है।

अध्याय III - वित्तीय प्रतिवेदन की प्रथाएं

इस अध्याय में राज्य सरकार के विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा प्रस्तुत लेखों की गुणवत्ता और राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा निर्धारित वित्तीय नियमों और विनियमों के अनुपालन न करने के मुद्दों पर टिप्पणी की गई है।

विभिन्न विभागों में निष्पादन लेखापरीक्षा और लेनदेन की लेखापरीक्षा के निष्कर्षों और सांविधिक निगमों, बोर्डों और सरकारी कंपनियों की लेखापरीक्षा से उत्पन्न टिप्पणियों वाले प्रतिवेदन और राजस्व प्राप्तियों पर टिप्पणियों वाले प्रतिवेदन अलग से प्रस्तुत किए जाते हैं।

राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का आधार और दृष्टिकोण

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 151 (2) के अनुसार, किसी राज्य के लेखाओं से संबंधित भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) का प्रतिवेदन राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत की जानी है, जो उन्हें राज्य विधानमंडल के समक्ष रखने का प्रावधान करेंगे।

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) राज्य के वित्त लेखे और विनियोग लेखे को वार्षिक रूप से संकलित करते हैं, जो राज्य सरकार के नियंत्रण में आने वाले कोषागारों, कार्यालयों और ऐसे लेखों को रखने के लिए जिम्मेदार विभागों द्वारा प्रस्तुत वाउचरों, चालानों और प्रारंभिक तथा सहायक लेखों तथा भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त विवरणों से तैयार किए जाते हैं। इन लेखाओं का प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा स्वतंत्र रूप से लेखापरीक्षा किया जाता है और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा प्रमाणित किया जाता है।

राज्य के वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे इस प्रतिवेदन हेतु मूल आँकड़े प्रदान करते हैं। अन्य स्रोतों में निम्नलिखित शामिल है:

- राज्य का बजट: अनुमानों के सापेक्ष राजकोषीय मापदंडों और आवंटन प्राथमिकताओं का आकलन करने के साथ-साथ इसके कार्यान्वयन की प्रभावशीलता और संबंधित नियमों और निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुपालन का मूल्यांकन करने के लिए
- प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के कार्यालय द्वारा किए गए लेखापरीक्षा का परिणाम
- विभागीय प्राधिकरणों और कोषागारों (लेखे के साथ-साथ एम.आई.एस.) के अन्य आँकड़े
- जी.एस.डी.पी. आँकड़े और राज्य से संबंधित अन्य सांख्यिकी
- राज्य का राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम
- वित्त आयोग की सिफारिशें
- भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के विभिन्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदन
- सर्वोत्तम व्यवहारों एवं भारत सरकार के दिशानिर्देश।

16 जून 2025 को झारखण्ड सरकार के वित्त विभाग के साथ एक प्रवेश सम्मेलन हुआ, जिसमें राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तैयार करने में अपनाए गए लेखापरीक्षा के दृष्टिकोण के बारे में बताया गया। 25 नवंबर 2025 को वित्त विभाग के साथ समाप्ति सम्मेलन हुआ, जिसमें लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा की गई। सरकार के जवाबों को प्रतिवेदन में उचित तरीके से शामिल किया गया है।

सरकारी लेखों की संरचना

राज्य सरकार के लेखों को तीन भागों में रखा जाता है।

1. राज्य की समेकित निधि (भारत के संविधान का अनुच्छेद 266(1))

इस निधि में राज्य सरकार द्वारा प्राप्त किया गया समस्त राजस्व, राज्य सरकार द्वारा लिए गए सभी ऋण (बाजार ऋण, बॉण्ड, केन्द्र सरकार से कर्ज, वित्तीय संस्थाओं से ऋण, राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी की गयी विशेष प्रतिभूतियाँ इत्यादि), भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए अर्थोपाय अग्रिम एवं राज्य सरकार द्वारा ऋणों के अदायगी के लिए प्राप्त किया गया सभी धन समाविष्ट होता है। इस निधि में से कोई धन विधि के अनुरूप और भारत के संविधान में उपबन्धित प्रयोजनों

तथा रीति से अन्यथा विनियोजित नहीं की जायेगी। व्यय की कुछ श्रेणियाँ (जैसे-संवैधानिक प्राधिकारियों के वेतन, ऋण का अदायगी इत्यादि), राज्य की समेकित निधि (भारित व्यय) पर प्रभारित होती हैं तथा विधानसभा द्वारा मत के अधीन नहीं होती हैं। अन्य सभी व्यय (दत्तमत व्यय) विधान सभा द्वारा दत्तमत होता है।

2. राज्य की आकस्मिकता निधि (भारत के संविधान के अनुच्छेद 267(2))

यह निधि अग्रदाय प्रकृति की होती है जो राज्य विधायिका द्वारा विधि से स्थापित की जाती है और राज्य की विधायिका द्वारा ऐसे व्यय प्राधिकृत किए जाने तक अप्रत्याशित व्यय करने के लिए अग्रिम प्रदाय करने हेतु राज्यपाल की सुपुर्दगी में रखी जाती है। राज्य की समेकित निधि से संबंधित कार्यात्मक मुख्य शीर्ष के व्यय को डेबिट कर उक्त निधि की प्रतिपूर्ति की जाती है।

3. राज्य का लोक लेखा (भारत के संविधान का अनुच्छेद 266(2))

उपर्युक्त के अलावा, अन्य समस्त लोक धन जो सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त किया जाता है, जहाँ सरकार बैंकर अथवा न्यासी की तरह कार्य करती है, लोक लेखा में जमा किया जाता है। लोक लेखा में प्रतिदेय जैसे- अल्प बचतें एवं भविष्य निधियाँ, जमा (ब्याज सहित एवं ब्याज रहित), अग्रिम, रक्षित निधियाँ (ब्याज सहित एवं ब्याज रहित), प्रेषण एवं उचंत शीर्ष (दोनों अस्थायी शीर्ष है जो अंतिम बुकिंग के लिए लंबित है) शामिल होते हैं। लोक लेखा में सरकार के पास उपलब्ध निवल रोकड़ शेष भी शामिल रहता है। लोक लेखा विधायिका के मत के अधीन नहीं है।

सरकारी लेखे की संरचना